



बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

विज्ञापन सं.-29 / 2024, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई में माध्यमिक शिक्षक के कुल 41 (एकतालीस) एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के कुल-21 (इक्कीस) पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक-16.08.2024 को आयोजित प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों से मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है।

A. माध्यमिक शिक्षक के रिक्त 41 पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत् है:-

(क)

क्र.सं.	कोटि	अनुमान्य पदों की कुल संख्या	35% क्षेत्रिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या
1.	अनारक्षित वर्ग	16	06
2.	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	04	01
3.	अनुसूचित जाति	07	03
4.	अनुसूचित जनजाति	01	00
5.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	07	02
6.	पिछड़ा वर्ग	05	02
7.	पिछड़े वर्गों की महिला	01	00
	कुल	41	14

(ख)

2.	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक- 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/ नतीनी के लिए आरक्षित (2%) कुल पदों की संख्या	01
----	--	----

(ग)

3.	सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-962, दिनांक-22.01.2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षेत्रिज आरक्षण निम्नवत् देय होगा-	
(i)	दृष्टि दिव्यांगता (VI)	01
(ii)	मूक वधिर दिव्यांगता (DD)	01
(iii)	चलन दिव्यांगता (OH)	00
(iv)	मर्नाविकार / बहुदिव्यांग (MD)	00

2. वेतनमान:- लेवल-9

B. उच्च माध्यमिक शिक्षक के रिक्त 21 पदों की कोटिवार विवरणी निम्नवत् है:-

(क)

क्र.सं.	कोटि	अनुमान्य पदों की कुल संख्या	35% क्षेत्रिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या
1.	अनारक्षित वर्ग	08	04
2.	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग	02	00
3.	अनुसूचित जाति	03	01
4.	अनुसूचित जनजाति	01	00
5.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	04	01
6.	पिछड़ा वर्ग	02	01
7.	पिछड़े वर्गों की महिला	01	00
	कुल	21	07

(ख)

2.	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक- 2526, दिनांक- 02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/ नतीनी के लिए आरक्षित (2%) कुल पदों की संख्या	01
----	---	----

(ग)

3.	सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-962, दिनांक-22.01.2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षेत्रिज आरक्षण निम्नवत् देय होगा-	
(i)	दृष्टि दिव्यांगता (VI)	01
(ii)	मूक वधिर दिव्यांगता (DD)	01
(iii)	चलन दिव्यांगता (OH)	00
(iv)	मर्नाविकार / बहुदिव्यांग (MD)	00

2. वेतनमान:- लेवल-11

3. अहंता :—

- (i) भारत का नागरिक हो।
- (ii) केन्द्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित करवाये गये शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो।
- (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट विषय में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जायेगी।
- (iv) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी.एड. अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी.एड. की डिग्री।
- (v) स्नातक प्रतिष्ठा/समकक्ष योग्यताधारी अभ्यर्थी को संबंधित विषय में नियुक्ति के लिए अधिभार दिया जायेगा। विद्यालय में स्थायी पद सूजन हेतु निर्गत संकल्प संख्या—1355 की कंडिका—2.2 में वर्णित विषय में स्नातक सहित आलिम व शास्त्री विषय को समकक्ष योग्यता के अन्तर्गत माना जायेगा।
- (vi) (a) माध्यमिक शिक्षक के लिए :— मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय में 3 वर्षों का स्नातक शिक्षक के रूप में शैक्षणिक अनुभव।
- (vii)(b) उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए :— मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय में 3 वर्षों का स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में शैक्षणिक अनुभव।

बिहार राज्य के साथ अन्य राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय को समिलित किया जाता है। शैक्षणिक अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी यदि सरकारी विद्यालय में कार्य किये हों, ऐसी स्थिति में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा निर्गत शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जायेगा। गैर सरकारी विद्यालय के कर्मी होने की स्थिति में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रिन्सिपल द्वारा निर्गत शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जायेगा, बशर्ते अभ्यर्थी के उक्त अवधि का बैंक के माध्यम से भुगतान का स्पष्ट साक्ष्य हो।

नोट:—न्यूनतम अहंता, शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता एवं शैक्षणिक अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि—16.05.2024 तक का निर्गत होना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

4. चयन प्रक्रिया —नियुक्ति हेतु चयन, प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

(A) मुख्य परीक्षा:—

- मुख्य परीक्षा दो पालियों में सम्पन्न कराया जायेगा।
- दो पालियों में एक पाली अन्तर्गत सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे एवं दूसरी पाली में विद्यालय में स्वीकृत पद के विषय से संबंधित प्रश्न होंगे।
- उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए निम्नवत् विषय के शिक्षक होंगे:— भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति, विज्ञान, जन्तु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, गृह विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, Accounts, Business study, Entrepreneurship.
- माध्यमिक शिक्षक के लिए निम्नवत् विषय के शिक्षक होंगे:— अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, भौतिकी, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, आर्ट+क्राफ्ट, कम्प्यूटर, संगीत, नृत्य, शारीरिक
- एक पाली के अन्तर्गत आयोजित परीक्षा में 30 प्रतिशत अंकों के प्रश्न लघुउत्तरीय होंगे तथा 70 प्रतिशत अंकों के प्रश्न दीर्घउत्तरीय होंगे।
- प्रत्येक पाली में कुल 300 अंकों का प्रश्न होगा तथा एक पाली की समय अवधि 3 घंटे की होगी।
- सभी प्रश्न स्नातक प्रतिष्ठा स्तर के होंगे, परन्तु कठिनाई (Difficulty) स्तर स्नातकोत्तर का होगा।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक—2374, दिनांक—16.07.2007 एवं पत्रांक—6706, दिनांक—01.10.2008 द्वारा मुख्य (लिखित) परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए चालीस प्रतिशत (40%), पिछड़ा वर्ग के लिए साढ़े छत्तीस प्रतिशत (36.5%), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए चाँतीस प्रतिशत (34%) तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं विकलांग उम्मीदवारों के लिए बत्तीस प्रतिशत (32%) अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार प्रतियोगिता से बाहर हो जायेंगे।

(B) साक्षात्कार:— साक्षात्कार 100 अंकों का होगा।

- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक—2374, दिनांक—16.07.2007 के आलोक में मुख्य (लिखित) परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचित रिक्तियों के ढाई (2½) गुण होगी। कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के लिए किया जायेगा।
- मुख्य लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। **अन्यथा वे अंतिम परीक्षाफल हेतु बनाये जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किये जायेंगे।**
- मुख्य लिखित परीक्षा, अन्तर्विक्षा (साक्षात्कार) में प्राप्त अंक एवं अनुबंध के आधार पर प्राप्त अनुभव के अधिमानता को जोड़कर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

(C) मेधा सूची

नोट:-(i) विभागीय पत्रांक-74067, दिनांक- 22.08.2023 द्वारा सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई में पूर्व से अनुबंध के आधार पर कार्यरत उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के कार्यानुभव के अनुमान्य अंक की गणना करते हुए भेदा सूची में जोड़ी जायेगी।

अनुबंध के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गयी संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम पाँच अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा) दी जायेगी।

(ii) अनुबंध के आधार पर किये गये कार्य अवधि की गणना आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि-16.05.2024 तक की जायेगी।

5. आरक्षण :-

प्रारंभिक परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावा के आधार पर आरक्षण का लाभ देय होगा एवं उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं है।

6. शुल्क:-

अभ्यर्थियों को उक्त पद के लिए Biometric fee के रूप में 200/- (दो सौ) रुपये तथा अलग-अलग आरक्षण कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है:-

- (i) सामान्य अभ्यर्थियों के लिए- 750/- (सात सौ पचास) रुपये
- (ii) केवल विहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- (iii) विहार राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग) महिला उम्मीदवारों के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए- 200/- (दो सौ) रुपये
- (v) अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए- 750/- (सात सौ पचास) रुपये

अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

नोट:-(1) वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या (Aadhaar No.) अंकित किया जाता है, उन्हें Biometric fee के रूप में 200/- (दो सौ) रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।

(2) वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी/विहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला अभ्यर्थी, जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण, दिव्यांगता एवं विहार राज्य के स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उसपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional Examination Fee) के आधार पर अनहित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थीता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

नोट:-(1) ऑनलाइन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों से कठिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न तो मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा। विज्ञापन में वर्णित सूचनाएँ/शर्त/ जानकारी/किसी प्रकार का छूट ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

7. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं:-

1.	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	18.02.2025
2.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	10.03.2025

(i) मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन में कठिपय बॉक्स पूर्व से भरे होंगे एवं कठिपय बॉक्स रिक्त होंगे। उल्लेखनीय है कि आवेदक द्वारा सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई में माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति हेतु प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने के समय जो विवरणी/सूचनाएँ भरी गई थी, वहीं सूचना/विवरणी मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में पूर्व से भरी रहेंगी एवं उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रावधान नहीं है। आवेदक उक्त ऑनलाइन आवेदन के खाली बॉक्स में सूचना भरते हुए आवेदन के अंत में विज्ञापन में वर्णित प्रमाण पत्र/ कागजात की विवरणी भरेंगे।

(ii) अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन/कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

(iii) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये न्यूनतम अर्हता, शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता एवं शैक्षणिक अनुभव, अनुबंध आधारित अनुभव तथा आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में भरे गये प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जाँच और मूल प्रमाण पत्रों से मिलान सिर्फ साक्षात्कार के समय ही किया जायेगा। इसके पूर्व इसकी जाँच सामान्यतया नहीं होगी और बाद में जाँच में

प्रमाण—पत्र सही नहीं पाये जाते हैं, अथवा अभ्यर्थी द्वारा दिया गया तथ्य/साक्ष्य गलत/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो अभ्यर्थी का आवेदन रद्द हो जायेगा और इस पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा और उस पर अभ्यर्थी को कोई आपत्ति नहीं होगी। साथ ही इस कारण अभ्यर्थी को वर्तमान और भविष्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी अभ्यर्थी की ही होगी।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही—सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे।

- (iv) Application Form Submit करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः Login कर Dashboard पर उपलब्ध Download filled Application Section से भरा हुआ आवेदन Download कर लेंगे।

नोट:- ऑनलाइन आवेदन के क्रम में किसी भी स्तर पर Edit करने का कोई प्रावधान नहीं होगा।
ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन में भरे गये सूचनाओं का मूल प्रमाण—पत्र/अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

- (v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक—10668, दिनांक—29.06.2022 के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक का दावा करने के स्थिति में ऑनलाइन आवेदन की कंडिका—3 (i) में अंकित श्रुतिलेखक की आवश्यकता है या नहीं (Yes/No) को Select करने के पश्चात् ही श्रुतिलेखक (Scribe) उपलब्ध कराया जायेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या— 10668, दिनांक 29.06.2022 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा— 2(r) के अन्तर्गत परिभासित किसी भी बैंचमार्क दिव्यांगता (PWBD) (40% या उससे अधिक) से ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची—I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची—II में शापथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- (vi) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

- (vii) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/Transaction Status Pending) के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

- (viii) आवेदक यह भी सुनिश्चित कर लें कि डाउनलोड किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number अंकित है। हार्ड कॉपी पर Registration Number, Bar Code एवं Submitted Application Number में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर भी आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

- (ix) इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाइन आवेदन को डेश बोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित मूल प्रमाण—पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थीयों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

8. महत्वपूर्ण निर्देश :-

ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अनुलग्नक की सूची में निम्नलिखित प्रमाण पत्रों के सामने अभ्यर्थी प्रमाण पत्र के निर्गत की तिथि एवं संख्या अंकित करेंगे :—

- (i) मैट्रिक का प्रमाण—पत्र/अंक पत्र (जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु)।
- (ii) स्नातक का प्रमाण—पत्र एवं अंक पत्र (विज्ञापन की कंडिका—A (3) में वर्णित न्यूनतम अर्हता के अनुरूप)।
- (iii) स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र (विज्ञापन की कंडिका—B (3) में वर्णित न्यूनतम अर्हता के अनुरूप)।
- (iv) केन्द्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित करवाये गये शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र (विज्ञापित पदों के अनुरूप)।
- (v) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी.एड. अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी.एड. की डिग्री।
- (vi) शैक्षणिक अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र (विज्ञापन के अनुरूप)।
- (vii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)।
- (viii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित घोषणा पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर)।
- (ix) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)।
- (x) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र)।

- (xi) बिहार राज्य के स्थायी निवासी अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- (xii) आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण-पत्र। प्रमाण पत्र की वैद्यता प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए मान्य होगा।
- (xiii) दिव्यांगता से संबंधित विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र।
- (xiv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-10668, दिनांक-29.06.2022 के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र एवं अनुसूची-II में शपथ पत्र।
- (xv) बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर चूके हैं।
- (xvi) भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र।
- (xvii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण-पत्र।
- (xviii) केन्द्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हों तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।
- (xix) पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।
- (xx) हाल का खिंचा हुआ 4 (चार) फोटो।

उपर्युक्त प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी सत्यापन के समय अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे त्रुटि सुधार का एक अंतिम अवसर दिया जायेगा। यदि निर्दिष्ट अवधि के बाद भी अभ्यर्थी सही प्रमाण-पत्र नहीं समर्पित कर पाते हैं, तो उपलब्ध साक्ष्य के गुण दोष के आधार पर इस चयन प्रक्रिया/परीक्षा के प्रारंभ से लेकर अब तक के प्रत्येक चरण में उसकी पात्रता की जांच कर तथा सभी चरणों में योग्य एवं सफल पाए जाने पर ही उसे अंतिम रूप से सफल माना जायेगा, अन्यथा उसे असफल एवं अयोग्य घोषित कर उसे काली सूची में दर्ज किया जा सकता है।

9. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जायेगी। अभ्यर्थियों की अहता के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत कागजातों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।
10. शैक्षिक परीक्षा एवं अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन-पत्र में किया है।
11. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
12. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाइन आवेदन से अलग, मुद्रित, टकित, हस्तालिखित आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे, साथ ही अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा परीक्षा शुल्क भुगतान किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
13. आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाए। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।